न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 45/2019 **दायर दिनांकः 15/03/2019**

उनवान

1. रामकरण उर्फ रामलाल आयु 49 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज0) वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0) प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 बाबत नाम दुरस्ती घोषणा

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 21/11/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 307 का ख0न0 640 का रकबा 0.20 है0, कुल किता 1 का रकबा 0.20 है0, आराजी वादी के दर्ज खाता हैं। नवीन नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न हैं। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम रामलाल दर्ज हो रहा हैं। घर पर रामलाल कहने के कारण वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामलाल दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम रामकरण हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड व राशन कार्ड में नाम रामकरण हैं जिससे वादी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा हैं इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामलाल के स्थान पर रामकरण किया जाना आवश्यक हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत अन्ताना सरपंच प्रमाण पत्र की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। बिना सहायता न्यायालय वादी का नाम रामलाल के स्थान पर रामकरण दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादी को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सी0सी0 ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होंगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। इसलिए वादी का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर रामलाल के स्थान पर रामकरण दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार पटवार हल्का के पास खसरा गिरदावरी की नकल लेने जाने तथा अंतिम बार दिनांक 11/03/2019 को श्रीमान को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर श्रीमान द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम अन्ताना तहसील अटरू

में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :–

(अ) यह कि वादी का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 307 का ख0न0 640 का रकबा 0.20 है0, कुल किता 1 का रकबा 0.20 है0, आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रामलाल के स्थान पर रामकरण दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट की गई जिसमें रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का नाम रामलाल के स्थान पर रामकरण उर्फ रामलाल किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 का शपथ पत्र पेश किया रिकार्ड EXP करवाया गया। तथा वादी द्वारा शपथ पत्र वाद पत्र के समर्थन में पेश किया गया। उभय पक्ष के अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा कथन किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में रामकरण नाम दर्ज है।
अतः जमाबन्दी ग्राम अन्ताना में खाता संख्या 307 ख0नं0 640 रकबा 0.20 है0 में रामलाल के स्थान पर रामकरण दर्ज किया जावें। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिचय पत्र निर्वाचन, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत अन्ताना का प्रमाण पत्र रिपोर्ट व साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 307 ख0नं0 640 रकबा 0.20 है0 में खातेदार रामलाल के स्थान पर रामकरण उर्फ रामलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 45/2019

उनवान

1. रामकरण उर्फ रामलाल आयु 49 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 बाबत नाम दुरस्ती घोषणा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X............... रूबरू..............X.............................

बहाजिर :–

वादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादी:– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम अन्ताना की खाता संख्या 307 ख0नं0 640 रकबा 0.20 है0 में खातेदार रामलाल के स्थान पर रामकरण उर्फ रामलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.11.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.12.10 15:08:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: